

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
 डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक : एफ 5(12-1)प्राशिमं./सामान्य/2010-11/ 631

दिनांक : 20 JAN 2012

प्रधानाचार्य,
 समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
 संलग्न सूची अनुसार।

विषय : परीक्षा कार्यों के लिये संशोधित पारिश्रमिक भुगतान की दरों के संबंध में।

संदर्भ : विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ 13(24)त0शि0/78 पार्ट दिनांक 21-11-11.

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा कार्यों के लिये पारिश्रमिक भुगतान की दरों में संशोधन किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्र सं	मद का नाम	संशोधित पारिश्रमिक भुगतान की दर
1	पेपर सेटर	रु. 400/- प्रति पेपर सेटिंग एवं रु. 100/- अनुवाद के लिए अतिरिक्त
2	थ्योरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु परीक्षक	रु. 10 प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम 150/- प्रति विषय)
3	परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	रु. 100/- प्रति पारी
4	अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक	रु. 75/- प्रति पारी
5	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त वीक्षक के लिए	रु. 70 प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक
6	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी	रु. 40/- प्रति लिपिक प्रति पारी
7	परीक्षा कार्य में नियुक्त च.श्रे.कर्म.	रु. 30/- प्रति पारी प्रति च.श्रे.क. (4 घन्टे के लिये)
8	प्रायोगिक एवं वाईवा वासी परीक्षा	रु. 15 प्रति छात्र (न्यूनतम रु. 300/- प्रत्येक परीक्षक को)
9	प्रश्न पत्रों के अनुसीमनकर्ताओं के लिए	रु. 22.50 प्रति प्रश्न पत्र (न्यूनतम रु. 112.50)
10	प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रश्न पत्र निर्माताओं के लिए	रु. 127.50 प्रति पेपर सेटिंग (भाइय एवं आंतरिक परीक्षक को)
11	प्रोजेक्ट कार्य की परीक्षा के लिए	रु. 15/- प्रति छात्र (न्यूनतम रु. 120/- प्रत्येक परीक्षक को)
12	अंकतालिका के लेखकों के लिए	रु. 37.50 प्रति 100 अंकतालिका
13	डिप्लोमा प्रमाणपत्र लेखक को	रु. 52.50 प्रति 100 डिप्लोमा प्रमाणपत्र
14	अंकतालिका/डिप्लोमा प्रमाण पत्र लेखन की जांच	रु. 22.50 प्रति 100 डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अंकतालिका की जांच हेतु
15	डिमोस्ट्रेटर/इंस्ट्रक्टर जो प्रायोगिक परीक्षा में सहायक होते हैं।	रु. 24/- प्रति सहायक
16	मंडल स्तर पर (प्रायोगिक) प्रश्न पत्रों निर्माताओं को	रु. 150/- प्रति पेपर सेटिंग

17	परीक्षा परिणाम सारणीकरण के जांचकर्ताओं को	
	17.1 मुख्य परीक्षा	रु. 60/- प्रति 100 छात्र (प्रति जोडा)
	17.2 पूरक परीक्षा	रु. 60/- प्रति 100 छात्र (प्रति जोडा)
18	टेक्नीशियन	रु. 18/- प्रति परीक्षा काल
19	लैब अटेन्डेन्ट	रु. 12/- प्रति परीक्षा काल
20	मूल रोल नम्बरो को काल्पनिक रोल नम्बरों में तथा काल्पनिक रोल नम्बरों को पुनः मूल रोल नम्बरों में परिवर्तन	1. रु. 300/- मुख्य गोपनीय अधिकारी 2. रु. 30/- प्रति 100 उत्तर पुस्तिकाओं के लिए लिपिकों 3. रु. 12/- प्रति दिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये
21	सारणीकरणकर्ता (हस्त एवं कम्प्यूटरीकृत)	रु. 225/- प्रति 100 छात्र मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा हेतु
22	जांचकर्ता	रु. 60/- प्रति 100 उत्तर पुस्तिका
23	स्थानीय बाह्य परीक्षकों को कन्वेन्स अलाउंस	रु. 45/- प्रति दिन

उक्त दरें वर्ष नवम्बर 2011 की परीक्षाओं से लागू होगी।

मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कार्य के लिये संशोधित पारिश्रमिक दरे, वित्त (व्यय-1) विभाग, के आई. डी. क्रमांक 151101154 दिनांक 18.11.2011 से सहमति के आधार पर विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्रांक: प13(24)त.शि./78पार्ट दिनांक 21-11-2011 के द्वारा उपरोक्त क सं 1 से 08 तक में संशोधन किये गये है।


संयुक्त निदेशक एवं सचिव